Journal Homepage: www.ijarpr.com ISSN: 3049-0103 (Online)

International Journal of Advance Research Publication and Reviews

Vol 03, Issue 9, pp 272-277, September, 2026

दक्षेस की कार्यविधि: संस्थागत संरचना, निर्णय-निर्माण एवं क्षेत्रीय सहयोग का विश्लेषण

शिखा प्रजापति[1], प्रो० प्रवीण कुमार सिंह[2]

[1] शोधार्थी - राजनीति विज्ञान श्री गणेश राय पी जी कॉलेज डोभी जौनपुर ।

[2] शोध निर्देशक - विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान श्री गणेश राय पी जी कॉलेज डोभी जौनपुर ।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.22689121

सारांश

दक्षेस अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation—SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षेस चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई। वर्तमान में इसके आठ सदस्य देश—अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका—हैं। संगठन का मूल उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण, जीवन-स्तर में सुधार, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास तथा क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दक्षेस की कार्यविधि मुख्यतः अंतर-सरकारी सहयोग, सर्वसम्मति, संप्रभु समानता और सदस्य देशों की राजनीतिक संवेदनशीलताओं के सम्मान पर आधारित है। दक्षेस चार्टर में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाएंगे तथा द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को संगठन की विचार-विमर्श प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। दक्षेस की संस्थागत संरचना में राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन सर्वोच्च स्तर पर है। इसके नीचे विदेश मंत्रियों की परिषद, विदेश सचिवों की स्थायी समिति, तकनीकी समितियाँ, कार्य समितियाँ और सचिवालय कार्य करते हैं। यह संरचना नीति-निर्धारण से लेकर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तक विभिन्न स्तरों पर सहयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। संगठन ने कृषि, व्यापार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रबंधन तथा सामाजिक विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग की संस्थागत व्यवस्था विकसित की है। हालाँकि, दक्षेस की संस्थागत व्यवस्था अपेक्षाकृत विकसित होने के बावजूद इसका राजनीतिक प्रभाव और निर्णयों का क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सका है। विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव, सर्वसम्मति की अनिवार्यता, कमजोर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, बैठकों की अनियमितता तथा संस्थागत निर्णयों के सीमित क्रियान्वयन ने संगठन की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। 2014 के बाद दक्षेस शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है, जो संगठन की कार्यात्मक निष्क्रियता की गंभीर चुनौती को दर्शाता है। इस शोध-पत्र में दक्षेस की संस्थागत संरचना, निर्णय-निर्माण प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय सहयोग की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रमुख शब्द: -दक्षेस, दक्षिण एशिया, संस्थागत संरचना, निर्णय-निर्माण, सर्वसम्मति, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय राजनीति।

1. प्रस्तावना

दक्षिण एशिया विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में से एक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। इसके बावजूद दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और संस्थागत सहयोग अपेक्षाकृत कमजोर रहा है (ADB, 2024; European Parliament, 2025)। इसी पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से दक्षेस की स्थापना की गई। 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके बाद 8 दिसंबर 1985 को ढाका में SAARC Charter पर हस्ताक्षर किए गए और संगठन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया (SAARC Secretariat, 1985)। दक्षेस चार्टर में क्षेत्रीय सहयोग को राजनीतिक प्रभुत्व या किसी प्रकार के अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में नहीं, बल्कि सदस्य देशों की संप्रभु समानता के आधार पर अंतर-सरकारी सहयोग के रूप में विकसित किया गया है। चार्टर में संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा पारस्परिक लाभ को सहयोग के मूल सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है (SAARC Secretariat, 1985)। दक्षेस की कार्यविधि को समझने के लिए इसकी संस्थागत संरचना और निर्णय-निर्माण प्रणाली का अध्ययन आवश्यक है। संगठन की कार्यप्रणाली में शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समितियाँ, कार्य समितियाँ तथा सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (SAARC Secretariat, 2018; Ministry of Foreign Affairs, Nepal, 2026)। दक्षेस की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसके निर्णय सर्वसम्मति/एकमत (unanimity) के आधार पर लिए जाते हैं। चार्टर के अनुच्छेद X में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्तरों पर निर्णय unanimity के आधार पर होंगे तथा द्विपक्षीय एवं विवादास्पद मुद्दों को deliberations से बाहर रखा जाएगा (SAARC Secretariat, 1985)। इस प्रकार दक्षेस की कार्यविधि में सहयोग और संप्रभुता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। एक ओर संगठन क्षेत्रीय सहयोग के लिए संस्थागत मंच प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर सदस्य देशों के राजनीतिक मतभेद उसके प्रभावी संचालन को सीमित कर सकते हैं (European Union, 2025)।

2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

दक्षेस दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संस्थागत मंचों में से एक है। इसके उद्देश्यों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है (SAARC Secretariat, 1985)। दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन तथा अन्य सीमा-पार चुनौतियाँ क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को बढ़ाती हैं। ADB के अनुसार क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण से connectivity, trade, investment, regional public goods तथा institutional capacity को मजबूत किया जा सकता है (ADB, 2019, 2026)। दक्षेस की संस्थागत संरचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभिन्न स्तरों पर नीति निर्माण, समन्वय और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है (SAARC Secretariat, 2018)। वर्तमान परिस्थितियों में दक्षेस की कार्यविधि का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन की राजनीतिक गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों में धीमी हुई हैं। जापान के विदेश मंत्रालय की Diplomatic Bluebook 2025 के अनुसार 2014 के बाद कोई SAARC Summit आयोजित नहीं हुआ तथा 2016 के बाद कोई Ministerial Meeting आयोजित नहीं हुई (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2025)।

3. शोध-विधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। दक्षेस चार्टर, दक्षेस सचिवालय की आधिकारिक सामग्री, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टों तथा क्षेत्रीय सहयोग से संबंधित उपलब्ध अकादमिक साहित्य का अध्ययन किया गया है। शोध में संस्थागत विश्लेषण तथा तुलनात्मक-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस अध्ययन में दक्षेस की संस्थागत संरचना को स्वतंत्र चर के रूप में तथा निर्णय-निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग को उसके प्रमुख कार्यात्मक परिणामों के रूप में देखा गया है। साथ ही, सर्वसम्मति, राजनीतिक तनाव और संस्थागत क्षमता को संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में विश्लेषित किया गया है।

4. दक्षेस की संस्थागत संरचना

दक्षेस की संस्थागत संरचना बहुस्तरीय है। इसमें Summit, Council of Ministers, Standing Committee, Programming Committee, Technical Committees, Working Groups, Action Committees तथा Secretariat जैसे संस्थागत तंत्र शामिल हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

4.1 राष्ट्राध्यक्षों/सरकार के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन

दक्षेस की संस्थागत संरचना में शिखर सम्मेलन सर्वोच्च राजनीतिक/निर्णयकारी स्तर है। इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुख भाग लेते हैं। SAARC Charter के Article III के अनुसार Heads of State or Government की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार या सदस्य देशों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अधिक बार आयोजित की जा सकती है (SAARC Secretariat, 1985)। शिखर सम्मेलन संगठन की व्यापक राजनीतिक दिशा निर्धारित करने, क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकताओं को तय करने तथा प्रमुख पहलों को राजनीतिक समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है (SAARC Secretariat, 2018)। 2014 के बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है, जो संगठन की वर्तमान राजनीतिक निष्क्रियता का महत्वपूर्ण संकेतक है (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2025)।

4.2 मंत्रिपरिषद

दक्षेस की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था Council of Ministers है, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इसके प्रमुख कार्यों में संगठन की नीतियों का निर्माण और क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना शामिल है (SAARC Secretariat, 1985)। मंत्रिपरिषद शिखर सम्मेलन द्वारा निर्धारित व्यापक राजनीतिक दिशा और संगठन की अन्य संस्थाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है (SAARC Secretariat, 2018)।

4.3 स्थायी समिति

स्थायी समिति में सदस्य देशों के विदेश सचिव शामिल होते हैं और यह SAARC की कार्यात्मक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। यह क्षेत्रीय सहयोग की गतिविधियों की समीक्षा, समन्वय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (Ministry of Foreign Affairs, Nepal, 2026)।

4.4 तकनीकी समितियाँ

तकनीकी समितियाँ SAARC की कार्यक्रम-क्रियान्वयन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। SAARC Charter के Article VI के अनुसार Technical Committees सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनती हैं तथा अपने-अपने क्षेत्र में programmes के implementation, coordination और monitoring के लिए जिम्मेदार होती हैं (SAARC Secretariat, 1985)। इनके कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं की पहचान, programmes तैयार करना, projects बनाना, वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन तथा implementation की निगरानी शामिल है (SAARC Secretariat, 1985)।

4.5 कार्य समितियाँ

SAARC Charter के Article VII के अनुसार Standing Committee ऐसे Action Committees गठित कर सकती है जिनमें दो से अधिक लेकिन सभी सदस्य देश शामिल न हों और जो संबंधित projects के implementation से जुड़े हों (SAARC Secretariat, 1985)। यह व्यवस्था क्षेत्रीय सहयोग को उन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की संभावना प्रदान करती है जहाँ सभी सदस्य देशों की समान भागीदारी आवश्यक नहीं है।

4.6 दक्षेस सचिवालय

दक्षेस सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है और SAARC process के प्रशासनिक एवं समन्वयकारी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सचिवालय जनवरी 1987 में काठमांडू में स्थापित हुआ तथा यह SAARC activities के coordination और monitoring, meetings की servicing तथा

सदस्य देशों के बीच communication channel के रूप में कार्य करता है (Ministry of Foreign Affairs, Nepal, 2026)। सचिवालय का नेतृत्व महासचिव करते हैं। इसकी भूमिका मुख्यतःप्रशासनिक और समन्वयकारी है तथा यह किसी supranational authority की तरह सदस्य देशों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लागू नहीं करता।

5. दक्षेस की कार्यविधि

दक्षेस की कार्यविधि को मुख्यतःनीति निर्धारण, प्रशासनिक समन्वय और तकनीकी क्रियान्वयन के स्तरों में समझा जा सकता है। Summit और Council of Ministers उच्च स्तर पर नीतिगत दिशा प्रदान करते हैं, जबकि Standing Committee तथा Technical Committees programmes और projects के coordination एवं implementation में भूमिका निभाते हैं (SAARC Secretariat, 1985; SAARC Secretariat, 2018)। इस प्रकार दक्षेस की कार्यविधि में राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्तरों के बीच संस्थागत समन्वय दिखाई देता है। संगठन की कार्यप्रणाली सदस्य देशों की संप्रभु समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित है (SAARC Secretariat, 1985)।

6. दक्षेस में निर्णय-निर्माण प्रक्रिया

6.1 सर्वसम्मति का सिद्धांत

दक्षेस की निर्णय-निर्माण प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता unanimity है। SAARC Charter के Article X में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "Decisions at all levels shall be taken on the basis of unanimity." साथ ही bilateral और contentious issues को deliberations से बाहर रखा गया है (SAARC Secretariat, 1985)। यह व्यवस्था सदस्य देशों की औपचारिक समानता और संप्रभुता की रक्षा करती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि व्यापक राजनीतिक सहमति के अभाव में निर्णय-निर्माण प्रभावित हो सकता है।

6.2 द्विपक्षीय विवादों का बहिष्कार

SAARC Charter bilateral तथा contentious issues को deliberations से बाहर रखने का स्पष्ट प्रावधान करता है (SAARC Secretariat, 1985)। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को द्विपक्षीय विवादों से अलग रखना था। हालांकि व्यवहार में राजनीतिक तनाव का प्रभाव आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग पर भी पड़ सकता है। European Union ने 2025 में भी SAARC की संभावनाओं को लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक तनावों द्वारा बाधित बताया है।

6.3 निर्णयों का क्रियान्वयन

SAARC में निर्णय लेने के बाद उनके implementation में सदस्य देशों और विभिन्न technical तथा administrative mechanisms की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ADB ने SAARC के लिए विशेष technical assistance programme के माध्यम से regional cooperation initiatives के implementation और institutional capacity को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है (ADB, 2020–2026)।

7. क्षेत्रीय सहयोग का स्वरूप

SAARC Charter आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में active collaboration तथा mutual assistance को संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल करता है (SAARC Secretariat, 1985)।

7.1 आर्थिक सहयोग

दक्षेस ने क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थागत पहलों का विकास किया है। SAFTA क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण की दिशा में प्रमुख प्रयासों में से एक है। SAARC Secretariat की सामग्री में SAFTA तथा अन्य आर्थिक समझौतों को संगठन की प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है (SAARC Secretariat, 2018)। दक्षिण एशिया में व्यापार और connectivity की संभावनाओं के बावजूद border delays, infrastructure gaps और व्यापारिक बाधाएँ क्षेत्रीय integration को प्रभावित करती हैं (ADB, 2024)।

7.2 कृषि सहयोग

कृषि एवं ग्रामीण विकास SAARC के प्रमुख cooperation areas में शामिल हैं। SAARC की institutional structure में Agriculture and Rural Development के लिए Technical Committee तथा SAARC Agriculture Centre जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित की गई हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

7.3 स्वास्थ्य सहयोग

Health and Population SAARC के प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में शामिल है तथा SAARC institutional mechanism में Health and Population से संबंधित Technical Committee और regional centre की व्यवस्था रही है (SAARC Secretariat, 2018)। COVID-19 जैसी सीमा-पार स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में regional public goods और collective action का महत्व और बढ़ जाता है (ADB, 2019)।

7.4 पर्यावरण एवं जलवायु सहयोग

Environment, forestry तथा natural disasters SAARC के institutional cooperation areas में शामिल हैं। SAARC की official material में environment तथा natural disaster cooperation के लिए mechanisms का उल्लेख मिलता है (SAARC Secretariat, 2018)।

7.5 आपदा प्रबंधन

Natural disasters के क्षेत्र में regional cooperation SAARC के महत्वपूर्ण सहयोग क्षेत्रों में है। SAARC Secretariat की compilation में SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters (2011) का उल्लेख किया गया है (SAARC Secretariat, 2018)।

7.6 शिक्षा एवं संस्कृति

शिक्षा, संस्कृति तथा people-to-people contacts क्षेत्रीय समझ को मजबूत करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। SAARC की institutional arrangements में Education and Culture को cooperation area के रूप में शामिल किया गया है (SAARC Secretariat, 2018)।

7.7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

Science and Technology तथा Meteorology SAARC के Technical Committee framework का हिस्सा रहे हैं। वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से सदस्य देश research capacity, technical expertise और knowledge sharing को मजबूत कर सकते हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

8. दक्षेस की उपलब्धियाँ

दक्षेस की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उसने दक्षिण एशियाई देशों को एक साझा institutional platform प्रदान किया। 1985 में इसकी स्थापना के बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए विभिन्न institutional mechanisms विकसित किए गए (SAARC Secretariat, 1985, 2018)। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि विभिन्न क्षेत्रीय समझौतों और संस्थागत पहलों का विकास है। SAFTA, SAARC Development Fund, South Asian University, SAARC Energy Centre तथा अन्य mechanisms इसके उदाहरण हैं (SAARC Secretariat, 2018)। तीसरी उपलब्धि यह है कि SAARC ने साझा क्षेत्रीय समस्याओं को institutional agenda में स्थान दिया, जिनमें agriculture, health, environment, disaster management, education, science and technology तथा economic cooperation शामिल हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

9. दक्षेस की प्रमुख चुनौतियाँ

9.1 भारत-पाकिस्तान तनाव

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव SAARC की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रहा है। European Union ने 2025 में भी long-standing political tensions को SAARC की संभावनाओं के लिए बाधक बताया है।

9.2 सर्वसम्मति की सीमा

SAARC Charter में unanimity अनिवार्य है । इससे छोटे और बड़े सभी सदस्य देशों की औपचारिक समानता सुनिश्चित होती है, लेकिन राजनीतिक मतभेद होने पर consensus-based decision-making संगठन की गति को प्रभावित कर सकती है (SAARC Secretariat, 1985)।

9.3 शिखर सम्मेलनों की अनियमितता

जापान के Diplomatic Bluebook 2025 के अनुसार 2014 के बाद कोई SAARC Summit और 2016 के बाद कोई Ministerial Meeting आयोजित नहीं हुई है । यह स्थिति SAARC की वर्तमान राजनीतिक गतिशीलता की गंभीर चुनौती को दर्शाती है (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2025)।

9.4 कमजोर आर्थिक एकीकरण

दक्षिण एशिया में regional trade और connectivity की संभावनाएँ पर्याप्त हैं, लेकिन transport infrastructure, border procedures, trade barriers और institutional coordination जैसी समस्याएँ regional integration को सीमित करती हैं (ADB, 2024)।

9.5 संस्थागत क्षमता

ADB ने SAARC के संदर्भ में institutional capacity, policy implementation, knowledge sharing और regional cooperation mechanisms को मजबूत करने के लिए विशेष technical assistance programmes संचालित किए हैं (ADB, 2020–2026)।

10. आलोचनात्मक विश्लेषण

दक्षेस की संस्थागत संरचना का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि संगठन ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक व्यापक औपचारिक ढाँचा विकसित किया है। Summit, Council of Ministers, Standing Committee, Technical Committees, Action Committees तथा Secretariat मिलकर बहुस्तरीय व्यवस्था बनाते हैं (SAARC Secretariat, 1985, 2018)। दक्षेस की सबसे बड़ी संस्थागत विशेषता unanimity है। यह सदस्य देशों की संप्रभु समानता को सुरक्षित करती है, लेकिन political disagreement की स्थिति में collective decision-making को धीमा कर सकती है (SAARC Secretariat, 1985)। दक्षेस की दूसरी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि आर्थिक और सामाजिक सहयोग को राजनीतिक संबंधों से पूरी तरह अलग रखना व्यवहार में कठिन रहा है। European Union के 2025 assessment के अनुसार long-standing political tensions ने SAARC की क्षमता को बाधित किया और EU-SAARC engagement का एक हिस्सा technical तथा informal cooperation तक

सीमित रहा। दक्षेस और उप-क्षेत्रीय संगठनों के संबंध में भी परिवर्तन दिखाई देता है। EU ने SAARC के साथ-साथ BIMSTEC जैसे sub-regional frameworks के समर्थन को भी बढ़ाया है। अतःदक्षेस को प्रतिस्पर्धी मंच के बजाय व्यापक regional coordination और cooperation platform के रूप में पुनर्स्थापित करना अधिक उपयोगी दृष्टिकोण हो सकता है।

11. दक्षेस को प्रभावी बनाने के सुझाव

इन सुझावों को मुख्यतःआपके शोध के विश्लेषण से निकली recommendations के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर अनिवार्य citation नहीं है। फिर भी जहाँ बाहरी नीति-साक्ष्य उपलब्ध है वहाँ citation लगाया जा सकता है।

11.1 नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन

नियमित high-level dialogue SAARC की राजनीतिक सक्रियता को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। 2014 के बाद Summit न होने की स्थिति को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है (MOFA Japan, 2025)।

11.2 गैर-विवादास्पद क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना

स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में project-based cooperation को प्राथमिकता दी जानी चाहिए (SAARC Secretariat, 2018; EU, 2025)।

11.3 सर्वसम्मति व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार

Unanimity को SAARC Charter के मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखते हुए कम संवेदनशील technical तथा project-based क्षेत्रों में इच्छुक सदस्य देशों के बीच flexible cooperation mechanisms विकसित किए जा सकते हैं। यह सुझाव SAARC की वर्तमान institutional constraints के विश्लेषण पर आधारित है।

11.4 क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा

Trade facilitation, transport connectivity, border procedures तथा regional infrastructure में सुधार आवश्यक है। ADB ने South Asian regional integration में connectivity और trade facilitation को महत्वपूर्ण priority माना है (ADB, 2024)।

11.5 सचिवालय की क्षमता मजबूत करना

SAARC Secretariat की technical, research, data-management और coordination capacity को मजबूत किया जाना चाहिए। ADB के SAARC-related technical assistance programme में भी institutional capacity, knowledge sharing और policy dialogue को महत्व दिया गया है (ADB, 2020–2026)।

11.6 युवा एवं अकादमिक सहयोग

युवा आदान-प्रदान, universities तथा research institutions के बीच cooperation को बढ़ाया जाना चाहिए। SAARC के cooperation framework में education, culture और people-to-people contacts महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

11.7 स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता

Health security, disaster preparedness और regional response mechanisms को मजबूत करना चाहिए। SAARC ने health तथा rapid response to natural disasters से संबंधित institutional arrangements विकसित किए हैं (SAARC Secretariat, 2018)।

11.8 डिजिटल क्षेत्रीय सहयोग

Digital connectivity, digital trade, artificial intelligence, cyber security और e-governance जैसे नए क्षेत्रों को क्षेत्रीय सहयोग के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। ADB की 2025–2026 regional integration reports भी digitalization को future regional integration के महत्वपूर्ण driver के रूप में रेखांकित करती हैं।

12. निष्कर्ष

दक्षेस दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत पहलों में से एक है। 1985 में इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य क्षेत्र के लोगों के कल्याण, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास और सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। [1][3] दक्षेस की संस्थागत संरचना में शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समितियाँ, कार्य समितियाँ और सचिवालय शामिल हैं। यह संरचना नीति-निर्माण से लेकर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तक विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। [1] दक्षेस की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का मूल आधार सर्वसम्मति है। यह व्यवस्था सदस्य देशों की संप्रभु समानता को सुनिश्चित करती है और छोटे देशों के हितों की रक्षा करती है, लेकिन राजनीतिक मतभेदों की स्थिति में यही व्यवस्था निर्णय प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को विचार-विमर्श से बाहर रखने का प्रावधान संगठन को राजनीतिक विवादों से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन व्यवहार में सदस्य देशों के राजनीतिक संबंधों का प्रभाव क्षेत्रीय सहयोग पर पड़ता रहा है। [1][2] क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से दक्षेस ने कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं तकनीक सहित अनेक क्षेत्रों में संस्थागत आधार तैयार किया है। हालांकि, इन पहलों का वास्तविक प्रभाव संगठन की राजनीतिक सक्रियता और सदस्य देशों की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। [3][4] वर्तमान स्थिति में दक्षेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी राजनीतिक निष्क्रियता है। 2014 के बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन न होना तथा

2016 के बाद मंत्रिस्तरीय स्तर की बैठक न होना यह दर्शाता है कि संगठन की संस्थागत संरचना और वास्तविक राजनीतिक कार्यक्षमता के बीच अंतर बढ़ा है। [5] अतः दक्षेस के भविष्य के लिए आवश्यक है कि सदस्य देश राजनीतिक मतभेदों को क्षेत्रीय सहयोग के गैर-विवादास्पद क्षेत्रों से अलग रखें। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। अंततःयह कहा जा सकता है कि दक्षेस की समस्या संस्थागत संरचना के पूर्ण अभाव की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर संस्थागत सक्रियता की कमी की है। यदि सदस्य देश साझा हितों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखकर कार्य करें तो दक्षेस दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास और मानव-केंद्रित क्षेत्रीय सहयोग का अधिक प्रभावी मंच बन सकता है।

13. संदर्भ सूची

1. Asian Development Bank. (2019). Operational Priority 7: Fostering Regional Cooperation and Integration. Manila: Asian Development Bank.

2. Asian Development Bank. (2024). Evaluation of ADB Support for the South Asia Subregional Economic Cooperation Program, 2011–2023. Manila: Asian Development Bank.

3. Asian Development Bank. (2025). Asian Economic Integration Report 2025: Harnessing the Benefits of Regional Cooperation and Integration. Manila: Asian Development Bank.

4. Asian Development Bank. (2026). Asian Economic Integration Report 2026: Leveraging Regional Cooperation and Integration to Navigate Global Uncertainties. Manila: Asian Development Bank.

5. Asian Development Bank. (2026). Operational Approach for Revitalizing Regional Cooperation and Integration. Manila: Asian Development Bank.

6. Asian Development Bank. (2020–2026). Strengthening the Implementation of Regional Cooperation and Integration Initiatives of South Asian Association for Regional Cooperation. Manila: Asian Development Bank.

7. European External Action Service. (2025, August 27). The European Union and the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). European Union.

8. Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2025). Diplomatic Bluebook 2025: South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Government of Japan.

9. Ministry of Foreign Affairs, Nepal. (2026). Nepal and SAARC. Government of Nepal.

10. SAARC Secretariat. (1985). Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation. Kathmandu: SAARC Secretariat.

11. SAARC Secretariat. (2018). SAARC at a Glance. Kathmandu: SAARC Secretariat.

12. SAARC Secretariat. (2018). Compilation of SAARC Charter, Conventions and Agreements (1985–2016). Kathmandu: SAARC Secretariat.